पुर्नविलोकन याचिका क्र.

प्रस्तुती दिनांक – 28-5-14

आयुक्त कार्या. से
प्राप्त
17.6.14

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

2039-PBR/14

श्रीमती अनुलता पति अनूप हार्डिया -- आवेदक
निवासी – हार्डिया कम्पाउण्ड, इन्दौर

श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 29/5/14
को प्रस्तुत
अधीक्षक

विरूद्ध

335/29-5-2014

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
   कलेक्टर महोदय, इन्दौर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
   तहसीलदार, इन्दौर
3. बाबूसिंह पिता भगवानसिंह ठाकुर
   मृतक तर्फे वारिस :–
   1– छगन पिता बाबूसिंह
   2– मदन पिता बाबूसिंह
   3– राधेश्याम पिता बाबूसिंह
   4– शिवसिंह पिता बाबूसिंह
   5– छतरसिंह पिता बाबूसिंह

19-6-14

सभी निवासी – ग्राम मुण्डलादोसदार, -- अनावेदकगण
तहसील व जिला इन्दौर

पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. आर–4134–पीबीआर/2013 में पारित आदेश दि. 27.03.2013 के पुर्नविलोकन हेतु सदर पुर्नविलोकन याचिका आवेदक की ओर से निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है –

Anu Hardia

– 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2039-पीबीआर/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 में मात्र अपर आयुक्त के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया गया था, जबकि निगरानी मूलत: कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, इसलिए रिव्यु ग्राह्य की जाती है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण पुन: नम्बर पर लिया जाता है । यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	